दिनांक 25.11.2024

प्रेस विज्ञप्ति 37/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–113

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा बरामद**

दिनॉकः 25.11.2024 को थाना सेक्टर–113 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैट्रो स्टेशन सेक्टर–51 से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–हिमांशु 2–मयूर कुमार सहित अभियुक्त 3–विरेन्द्र कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु व मयूर कुमार थाना सेक्टर–49 गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–113 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हिमांशु निवासी ग्राम चमरौला थाना कोतवाली एत्मादपुर, आगरा हालपता–गली नं0–12 फेस–10 शिव विहार थाना करावल नगर पूर्वी दिल्ली।

2–मयूर कुमार निवासी ग्राम चमरौला थाना कोतवाली एत्मादपुर, आगरा हालपता–गली नं0–46 फेस–10 शिव विहार थाना करावल नगर पूर्वी दिल्ली।

3–विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम चमरौला थाना कोतवाली एत्मादपुर, आगरा हालपता–गली नं0–12 फेस–10 शिव विहार थाना करावल नगर पूर्वी दिल्ली।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा।

जनपद रामपुर/थाना केमरी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 25.11.2024 को थाना केमरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैमरी–रामपुर रोड पर पीलाखार नदी डैम के पास ग्राम जनूनागर जाने वाले रास्ते से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बाबर उर्फ शरीफ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मिलक पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना केमरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बाबर उर्फ शरीफ निवासी ग्राम सहसपुर रूसतमनगर, जगतपुरी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

जनपद बरेली/थाना भुता

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 25.11.2024 को थाना भुता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अहिरौला चौराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भुता पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भुता पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अर्जुन निवासी ग्राम खरदाह थाना भुता जनपद बरेली।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 पिकअप वाहन**
- **04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 24/25.11.2024 की रात्रि थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कांधला बुढाना मार्ग पर गैस गोदाम से ग्राम विज्ञाना जाने वाले मार्ग पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नौशाद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सलमान 3–शहरयाब 4–अख्तर 5–अफसर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 पिकअप वाहन, 04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नौशाद निवासी ग्राम उलधन थाना खरखोदा जनपद मेरठ।

2–सलमान निवासी ग्राम उलधन थाना खरखोदा जनपद मेरठ।

3–शहरयाब निवासी ग्राम उलधन थाना खरखोदा जनपद मेरठ।

4–अख्तर निवासी ग्राम उलधन थाना खरखोदा जनपद मेरठ।

5–अफसर निवासी ग्राम उलधन थाना खरखोदा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 पिकअप वाहन।

2–04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मधुबन बापूधाम</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 चार पहिया वाहन**
- **चोरी करने के इलेक्ट्रानिक उपकरण, 17 चाबियाँ बरामद**

दिनॉकः 25.11.2024 को थाना मधुबन बापूधाम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–शकील उर्फ भुरवा 2–हसीन 3–समीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 चार पहिया वाहन, चोरी करने के इलेक्ट्रानिक उपकरण, 17 चाबियाँ बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना मधुबन धाम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शकील उर्फ भुरवा निवासी ग्राम जसोरा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।

2–हसीन निवासी ग्राम अलियारपुर खजूरी थाना किला परिक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

3–समीर निवासी नगौरी गेट रोड थाना सदर जोधपुर, राजस्थान।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 08 चार पहिया वाहन।

2–चोरी करने के इलेक्ट्रानिक उपकरण, 17 चाबियाँ।

<u>ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 06 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 531 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 24.11.2024 की रात्रि थाना सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नानौता–गंगोह रोड पर हिमामपुर नहर के पास से 02 अभियुक्तों 1– नौशाद

2–सारिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 06 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 531 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नौशाद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

2–सारिक निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 01 करोड़ 06 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 531 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद बरेली/थाना अलीगंज</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध अफीम**
- **02 मोबाइल फोन, नकद रूपये आदि बरामद**

दिनॉक5 24.11.2024 को थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–पृथ्वीराज 2–सन्तोष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध अफीम, 02 मोबाइल फोन, नकद रूपये आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पृथ्वीराज निवासी ग्राम अहरोईया थाना कुवंरगॉव जनपद बदायूं हालपता–गिरन्दपुर थाना आंवला जनपद बरेली।

2–सन्तोष गिरन्दपुर थाना आंवला जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलोग्राम अवैध अफीम।

2–02 मोबाइल फोन, नकद रूपये आदि।

- **जनपद शाहजहॉपुर/थाना तिलहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहॉपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहॉपुर द्वारा थाना तिलहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/34 भादवि व 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–नन्हेलाल उर्फ नन्हकू 2–सुरेश को कठोर आजीवन कारावास व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना ललपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना ललपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 435/427/504 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–धर्मेन्द्र 2–वरदानी को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः जनपद हापुड़ के थाना सिम्भावली क्षेत्र से लोगो को भय दिखाकर रंगदारी मांगने वालें कुख्यात अपराधी अशोक प्रधान गैंग का एक सदस्य रिंकू गिरफ्तार।

दिनांक 25—11—2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद हापुड़ के थाना सिम्भावली क्षेत्र से लोगों को भय दिखाकर रंगदारी मांगने वालें कुख्यात अपराधी अशोक प्रधान गैंग के सदस्य रिंकू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

रिंकू पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम विरसिंहपुर, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय—

दिनाक—25—11—2024, समय—15:40, बजे स्थान—ग्राम विरसिंहपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ ।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में कुख्यात अपराधियों द्वारा आम नागरिको में भय व्याप्त कर रंगदारी मांगे जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की इकाईयों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था, जिसके क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 25—11—2024 को एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ से निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री जयवीर सिंह, मुख्य आरक्षीगण रकम सिंह, आकाशदीप, कान्स0 रोमिश तोमर की टीम अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से जनपद हापुड़ क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि लोगो का भय दिखाकर रंगदारी मागंने वाला रिंकू जो थाना सिम्भावली, जनपद हापुड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस में भी वांछित है, अपने घर पर मौजूद है तथा कहीं भागने की फिराक मे है। जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर घेराबन्दी कर रिंकू उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी पूछताछ पर पाया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू का चाचा अशोक प्रधान जनपद अमरोहा में हत्या के मामलें में जेल में निरूद्ध था, जो अभी हाल ही मे जमानत पर छूटकर बाहर आया है। अपने चाचा के जेल में छूटने के बाद अभियुक्त रिंकू ने अपने चाचा के साथ मिलकर लोगों को भय दिखाकर रंगदारी मांगनी शुरू कर दी, जिसके सम्बन्ध में रिकूं एंव उसके चाचा अशोक प्रधान के विरूद्ध दिनांक 18—11—2024 को थाना सिम्भावली, जनपद हापुड पर अभियोग पंजीकृत हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसका चाचा अशोक प्रधान थाना गजरौला, जनपद अमरोहा के एक हत्या के मामलें में जमानत पर आया है तथा वह थाना सिम्भावली का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध दो दर्जन से भी अधिक मुकदमा विभिन्न थानों/जनपदों में पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिम्भावली, जनपद हापुड पर मु0अ0सं0 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत हैं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————